छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

1 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्य के लिये अपने घर से अन्य स्थानों पर रेल/बस के माध्यम से प्रतिदिन आना जाना (यात्रा) करते है। उन्हें मंडल द्वारा रेल मंडल एवं परिवहन विभाग तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर अनुसार 50 कि.मी. तक यात्रा हेतु मासिक टिकिट कार्ड (MST) प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से ऐसे श्रमिकों को यात्रा पर होने वाला संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल करेगा।
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु पर देय सहायता राशि रुपए 1 लाख से बढ़ाकर रुपए 5 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता पर देय सहायता राशि रुपए 50 हज़ार से बढ़ाकर रुपए 2.5 लाख किया जा रहा है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रुपए 1 लाख सहायता प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय/नवीन आवास निर्माण के लिये एकमुश्त राशि रुपए 50,000/- अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित होकर 'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना' के नाम से जाना जाएगा, साथ ही अब इस योजना अंतर्गत हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिक की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर इलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त रुपए 20,000/- तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-of-chhattisgarh-made-important-announcements-in-the-state-level-labour-conference